भामाशाह योजना–2014

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

कमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/32624 दिनांकः 9.08.2014

परिपत्र–3

भामाशाह योजना के सम्बंध में दिनांक 08.08.2014 को की गई विडियो कॉन्फ्रैंसिंग में सामने आये बिन्दुओं के कम में निम्न स्पष्टीकरण/अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं–

1. **भामाशाह शिविरों के शिविर प्रभारी** – जिला कलक्टर अपने विवेक से अन्य कैडर के राजपत्रित अधिकारियों(जैसे कि विभिन्न विभागों के सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता इत्यादि) को भी उनकी सक्षमता के आधार पर शिविर प्रभारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
2. **आधार नामांकन की अनुपलब्धता**– यदि किसी व्यक्ति को नामांकन के बाद आधार प्राप्त नहीं हुआ है तथा उसकी पावती (ई.आई.डी.) भी गुम हो गई है तो ऐसे निवासी का शिविर में ही पुनः आधार नामांकन किया जाएगा तथा नए ई.आई.डी. को भामाशाह नामांकन के दौरान अंकित किया जाएगा। यदि निवासी द्वारा पूर्व में किये गए नामांकन से आधार जारी हो जाता है तो भामाशाह नामांकन में दर्ज ई.आई.डी. को आधार से प्रतिस्थापित (Replace) कर दिया जाएगा।
3. **पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थाई नामांकन शिविर** – जिला कलक्टर अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थाई नामांकन शिविर प्रारम्भ करने की तिथि निर्धारित कर सकते है।
4. **पंचायत समिति मुख्यालयों के नामांकन केन्द्रों पर सत्यापन कार्य** – पंचायत समिति के केन्द्रों पर नामांकन हेतु आने वाले निवासियों के बारे में आवश्यक जानकारी वहाँ पदस्थापित सत्यापक द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकने की स्थिति में, निवासी के क्षेत्र के प्रथम सत्यापक (पटवारी/ग्रामसेवक) के द्वारा बाद में सत्यापन का कार्य किया जा सकेगा।

5. **प्री–पोपुलेशन हेतु उपलब्ध विभिन्न डाटाबेसों की सत्यता –** प्री–पोपुलेशन हेतु उपलब्ध कराए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण (SECC), आधार एवं राशन कार्ड के डाटाबेस को यथावत सत्य नहीं माना जाएगा। यह डाटाबेस निवासी के सत्यापन में सहयोग हेतु उपलब्ध कराए गए हैं, यद्यपि अंतिम निर्णय सत्यापक द्वारा मौके पर उपलब्ध समग्र जानकारी के आधार पर किया जाएगा। भामाशाह नामांकन द्वारा सरकार की मंशा गुणवत्ता एवं त्रुटि रहित डाटाबेस तैयार करने की है जिसके आधार पर समस्त विभागों द्वारा कार्य किया जा सकेगा।

6. **सामाजिक सुरक्षा पैंशन एवं भामाशाह के बैंक खाते में एकरूपता के संबंध में –** सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक जिनका कोर बैंकिंग समर्थ खाता खुला हुआ है, तो इसी खाते को भामाशाह नामांकन में अंकित किया जाएगा। यदि ऐसा खाता कोर बैंकिंग समर्थ नहीं है तो शिविर में इनके लिए नया खाता खोला जाएगा।

7. **राशन कार्ड का सत्यापन–** राशन कार्ड सत्यापन हेतु परिपत्र–1 क्रमांक एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/29279 दिनांक 18.07.2014 के परिशिष्ठ–12 में उल्लेखित प्रक्रिया से शिविर के अन्तर्गत परिवार की ईकाई में त्रुटि अथवा भामाशाह नामांकन से अन्तर होने पर, इस भिन्नता की सूचना ही एकत्रित की जानी है, परन्तु राशन कार्ड में कोई संशोधन शिविरों में नहीं किया जाना है। भिन्नता सूची प्रशासनिक एवं आयोजना विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

8. **नगरीय क्षेत्रो में शिविरों का आयोजन–** नगरीय क्षेत्रों के विस्तार को देखते हुए, जिला कलक्टर एक वार्ड में एक से अधिक स्थान पर तथा प्रति शिविर अधिक संख्या में नामांकन मशीन लगाने के लिए अधिकृत होंगे।

9. **शिविर की व्यवस्था–** जिला कलेक्टर, शिविर की व्यवस्था हेतु विभिन्न सामग्री एवं सेवाओं का क्रय, आवंटित बजट की सीमा में, अपने विवेकानुसार जिला, पंचायत समिति अथवा पंचायत स्तर पर कर सकेंगे।

10. **नामांकन शिविरों की समीक्षा –** उदयपुर संभाग को छोड़कर समस्त जिलों में 16 अगस्त 2014 से प्रारम्भ होकर 30 अगस्त 2014 तक या 4 शिविर जो भी पहले हो, नियमित शिविर आयोजित किए जाएंगे। तत्पश्चात शिविर आयोजन में एक अल्पविराम लिया जाएगा। दिनांक 1 सितम्बर 2014 को समस्त जिला

कलक्टर उक्त अवधि में आयोजित नामांकन शिविरों की समीक्षा करेंगे तथा 2 या 3 सितम्बर 2014 तक शासन सचिव, आयोजना को अपने सुझाव प्रस्तुत कर देंगे। इस समीक्षा के फलस्वरूप आवश्यक दिशा–निर्देश राज्य सरकार से जारी होंगे और तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा तय तिथि से नामांकन शिविर पुनः प्रारम्भ किये जाएंगे।

(राजीव महर्षि)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान।
8. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर, राजस्थान।
9. गार्ड पत्रावली।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना